प्रातिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में कम्पनी द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा0 न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या– एफ0सी–11/165/2019–एफ0सी0 दिनांक 27.07.2020 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 हैण्डबुक के पैरा 4.2 में संशोधन करते हुए सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की छूट प्रदान की गयी है।

09/02/22

(प्रभाष कुमार)
मैनेजर
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0